UPJS010015912014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) / अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- ३, झांसी

उपस्थितः विकास नागर(एच०जे०एस०)
J. O. Code No. UP6210

सत्र परीक्षण संख्या- ३५५/ २०१४, मु०अ०सं०- ४०७/ २०१४, थाना- गुरसरांय, जिला झांसी, अन्तर्गत धारा- ३०८/ ३४, ३२५/ ३४, ३२३/ ३४, ५०४/ ३४ भा०दं०सं०

सरकार	विरूद्ध	१. सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुंजी कुशवाहा निवासी मुहल्ला नारायण पुरा कस्वा व थाना गुरसरांय झांसी। २. कुन्जी लाल कुशवाहा पुत्र नथू कुशवाहा निवासी मुहल्ला नारायण पुरा कस्वा व थाना गुरसरांय झांसी। ३. मुन्जी कुशवाहा पुत्र नथू कुशवाहा निवासी मुहल्ला नारायणपुरा कस्वा व थाना गुरसरांय झांसी। ४. संतोष कुशवाहा पुत्र कुंजी लाल कुशवाहा निवासी मुहल्ला नारायणपुरा थाना गुरसरांय जिला झांसी।

निर्णय

(०१. ०४. २०२२)

१. अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा का विचारण अपराध अन्तर्गत धारा ३०८/ ३४, ३२५/ ३४, ३२३/ ३४, ५०४ भा०द०सं० में थाना गुरसरांय जिला झांसी द्वारा मु०अ०सं० ४०७/ २०१४ में प्रस्तुत किए गए आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

२. संक्षेप में अभियोजन कथानक वादी दीनदयाल उर्फ बल्लू मिस्त्री की तहरीर के अनुसार इस प्रकार है कि "दिनांक २६. ०६. २०१४ की सुबह समय ६. ०० बजे मेरे मुहल्ले के सुरेन्द्र पुत्र मुन्जी, सन्तोष पुत्र कुंजी, कुंजीलाल पुत्र नथू, मुंजी पुत्र नथु आये तथा मेरी पत्नी द्रौपदी को गाली गलौज कर रहे थे मैं निकलकर गाली देने से मना किया तो मुझे मारने लगे तथा मुझे बचाने मेरी मां फूला देवी आयी तो उसको भी बुरी तरह मारा जिससे उनकी खोपडी फट गई घटना को मुहल्ले के गनेश पुत्र छिदई ने देखा है। सूचना को आया हूं मेरी रिपोर्ट लिखने की कृपा की जावे। मेरी साथी उर्मिल पुत्र अरविन्द कुशवाहा मुहल्ला नारायणपुरा को भी मारा पीटा है। "

Digitally signed by VIKAS NAGAR
Date: 2022.04.04 17:51:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

३. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या ४०७/ २०१४ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक २६. ०६. २०१४ को दर्ज की गयी जिसमें सम्यक विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

४. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झांसी द्वारा पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांकित १२. ०९. २०१४ के माध्यम से यह वाद विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

५. अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक ०८. ०६. २०१५ को धारा ३०८/ ३४, ३२५/ ३४, ३२३/ ३४ एवं ५०४ भा०द०सं० के अधीन आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण द्वारा इन्कार किया गया एवं विचारण की मांग की गयी।

६. आरोपित अपराधों को अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किए जाने के प्रयोजन से अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डबलू०- १ के रूप में वादी मुकदमा दीनदयाल उर्फ बल्लू, पी०डब्लू०- २ के रूप में श्रीमती फूला , पी०डबलू०- ३ के रूप में प्रीतम सिंह, पी०डबलू०- ४ के रूप में गनेश, पी०डब्लू०- ५ के रूप में शरद भार्गव रेडियोलॉजिस्ट, पी०डब्लू०- ६ के रूप में कान्स० सुरेश सिंह, पी०डब्लू०- ७ के रूप में सुभाष चन्द यादव, पी०डबलू०- ८ के रूप में कान्स० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, पी०डब्लू०- ९ के रूप में डा० राजेन्द्र सिंह, पी०डब्लू०- १० के रूप में डा० सुशील कुमार गुप्ता, पी०डब्लू०- ११ के रूप में एस०आई० प्रभात चौरसिया एवं पी०डब्लू०- १२ के रूप में डा० रविकान्त को परीक्षित कराया गया।

७. दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं-

क्रम सं०	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**प्रमाणीकरण के साक्षीगण**
१.	तहरीर वादी	प्रदर्श क- १	पी०डब्लू०- १
२.	एक्स- रे रिपोर्ट दीनदयाल	प्रदर्श क- २	पी०डबलू०- ५
३.	नकल जी०डी०	प्रदर्श क- ३	पी०डबलू०- ६
४.	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- ४	पी०डबलू०- ७
५.	आरोप पत्र	प्रदर्श क- ५	पी०डबलू०- ७
६.	आरोप पत्र	प्रदर्श क- ६	पी०डबलू०- ७
७.	नकल जी०डी०	प्रदर्श क- ७	पी०डब्लू०- ८
८.	रेडियोलोजिस्ट रिपोर्ट श्रीमती फूला	प्रदर्श क- ८	पी०डब्लू०- ९
९.	ब्लड सैम्पिल रिपोर्ट श्रीमती फूला	प्रदर्श क- ९	पी०डब्लू०- १०

१०.	नेत्र परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क- १०	पी०डब्लू०- ११
११.	आघात आख्या श्रीमती फूला	प्रदर्श क- ११	पी०डब्लू०- १२
१२.	आधात आख्या दीनदयाल	प्रदर्श क- १२	पी०डब्लू०- १२
१३	एक्स- रे रिपोर्ट	वस्तु प्रदर्श- १	पी०डबलू०- ५
१४	एक्स- रे रिपोर्ट	वस्तु प्रदर्श- २	पी०डब्लू०- ५

अन्य कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

८. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा- ३१३ द०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष होना झूठा एवं रंजिशन मुकदमा चलाना, साक्षियों द्वारा झूठी साक्ष्य देना ,तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया गया है।

९. सफाई साक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से सूची ५२ बी के माध्यम से २ प्रपत्र प्रमाणित प्रतियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं तथा पश्चातवर्ती क्रम में सूची ५४बी के माध्यम से ३ प्रपत्र प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं अन्य कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

१०. अन्तिम बहस के स्तर पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे सिद्ध होते हैं एवं ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोष सिद्ध कर दण्डित किए जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद राजपूत द्वारा अपनी लिखित बहस प्रपत्र सं० ६४ बी के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है तथा मौखिक तर्को में यह कहा गया है कि साक्षी पी०डबलू०- १ के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाईम लिखी गयी है,साक्षी पी०डब्लू०- २ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना बताया गया है किन्तु इस साक्षी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह घटना के आधे घन्टे बाद आया था जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। साक्षी पी०डब्लू०- १ व पी०डब्लू०- २ द्वारा कहा गया है कि पीडिता फूला के माथे पर कुल्हाडी मारी गयी किन्तु चिकित्सक के अनुसार माथे पर कुल्हाडी की कोई चोट नहीं है तथा साक्षीपी०डब्लू०- ९ द्वारा यह भी कहा गया है कि पीडिता के सर पर कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया है। मौखिक साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य में घोर विरोधाभास है। साक्षी पी०डब्लू०- ११ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आहतों को जो चोटें पायीं गयीं थीं वह चोटें गिरने से आना सम्भव है। इन तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपित अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देह से परे सिद्ध नहीं होते हैं एवं अभियुक्तगण सन्देह का लाभ

देते हुए सभी आरोपित अपराधों में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं। अपने तर्कों के समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थायें **सत्यपाल एवं अन्य बनाम उ० प्र० राज्य, ए०सी०सी० १९९२ (२९)पेज ६३५, विश्राम एवं अन्य बनाम उ०प्र० राजय १९८६ ए०सी०आर०जे०, करन सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र०राज्य २०१७ जे०आई०सी० (सप्लीमेंटरी) १६८ (इलाहाबाद), शमशुददीन एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य २०१७ (३) जे०आई०सी० ७३३ (इलाहाबाद), बब्लू उर्फ संजीव मिश्राम बनाम उ०प्र० राज्य २०१८ जे०आई०सी० (सप्लीमेंटरी) ३२२ (इलाहाबाद) , दामोदर एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य २०१८ जे०आई०सी० (सप्लीमेंटरी) ५२७ (इलाहाबाद)** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थायें **कुमार बनाम राज्य २०१८ सी०आर०एल०जे० ४३७, रश्मी चौपडा बनाम उ०प्र०राज्य २०१९ सी०आर०एल०जे० ३४५०** प्रस्तुत की गयीं हैं।

११. उभयपक्षों के तर्को का सम्यक विश्लेषण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आलोक में करने के उपरान्त निम्नांकित निष्कर्ष निकाला जाता हैः-

निष्कर्ष

१२. अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप विरचित किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक २६. ६. १४ को समय करीब ६. ०० बजे सुबह पेश दरवाजा वादी स्थित मुहल्ला नारायणपुरा कस्वा गुरसरांय में मृत्यु कारित करने के समान आशय के अग्रसरण में वादी दीनदयाल उर्फ बल्लू कुशवाहा व उसकी मां श्रीमती फूला देवी को लाठी/ डन्डे/ कुल्हाडी आदि से स्वेच्छया पूर्वक ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों के अधीन मारपीट कर चोटें पहुंचायी गयीं यदि उक्त चोटों के कारण दोनो में से किसी की भी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसकी मां को लाठी डन्डे से मारपीट कर साधारण एवं गम्भीर चोटें पहुंचायी जिससे उन्हें साधारण उपहति हुयी तथा उनके फ्रेक्चर हुये एवं उन्हें गाली गलौज कर अपमानित किया गया।

१३. इन आरोपित अपराधों को सिद्ध किए जाने के प्रयोजन से अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०- १ के रूप में वादी मुकदमा दीन दयाल उर्फ बल्लू कुशवाहा को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि -

" दिनांक २६. ६. १४ समय सुबह करीब ६. ०० बजे मेरी पत्नी द्रौपदी चारा डालने गयी थी मेरी पत्नी को सुरेन्द्र कुशवाहा , सन्तोष , कुन्जी एवं मुन्जी, मेरी पत्नी को गाली गलौज करने लगे। अन्दर से मैं व मेरी भान्जी दरवाजे पर आकर बैठे थे। ये सभी लोग मेरे घर के दरवाजे आ गये व मां बहिन की गाली गन्दी गालियां देने लगे। मैने गाली देने से मना किया तो ये लोग हमे मारने पीटने लगे मेरी मां ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी मारापीटा मां के सिर में कुल्हाडी मार दी सुरेन्द्र ने कुल्हाडी मारी थी। मेरी मां गिर पडी। सुरेन्द्र कुल्हाडी, सन्तोष कुल्हाडी और मुन्जी लाठियां लिये थे इन चारों लोगों ने मुझे व मेरी मां को मारा पीटा। मुझे एक अंगूठा में फ्रेक्चर, दोनो हाथों में फ्रेक्चर हो गया था। गणेश बचाने के लिये आये, प्रीतम मुझे बचाने के लिये आये थे बीच बचाव में उर्मिला मेरी साली आयी थी उसको भी मारा पीटा घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना गुरसरांय गया थाने में पुलिस वालों ने कहा कि तहरीर

लिखा के लाओ तो बाहर खडे आदमी से तहरीर लिखायी थी,बोलकर कागज सं०२६ए तहरीर को पढकर सुनाया गया था। गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मेरे द्वारा बोलकर लिखायी गयी थी। इसकी मैं शिनाख्त करता हूं इस पर प्रदर्श क- १ डाला गया मेरे हाथ में फ्रेक्चर होने के कारण मैं तहरीर खुद नहीं लिख पाया था। मैं थाने से रिपोर्ट लिखाकर सरकारी अस्पताल गुरसरांय गया था यहां से मुझे जिला चिकित्सालय झांसी आया था पुलिस वाले हमारे साथ आये थे। जिला चिकित्सालय में डाक्टरी परीक्षण किया गया था। डाक्टरी परीक्षण पर मैने अंगूठा निशानी लगाया था, कागज सं० २१ए मेरा मेडिकल परीक्षण है इस पर मेरा अंगूठा निशानी है। दरोगा जी ने मेरे ब्यान लिये थे। घटनास्थल का मुआयना दरोगा जी ने किया था।"

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि-

" मेरे घर से थाना आधा किमी० दूर है। पैदल जाने पर १५-२० मिनट लगते हैं। थाने पर मैं अपनी मां को लेकर गये थे और मेरे लडके अजय व मोहित भी गये थे। मैने थाने में अपनी तहरीर में प्रीतम का नाम लिखाया था। नहीं लिखा है तो में नहीं बता सकता। मैने थानेदार को प्रीतम का नाम बताया था क्यों नहीं लिखा मैं नहीं बता सकता। मैने तहरीर जिस व्यक्ति से लिखवाई थी उसका नाम मैं नहीं बता सकता। मुझे जानकारी नहीं थी इसलिये मैने वकील किया था। मैं याद आई है मेरे भाई के नाम मनोहर, रामू, दीनदयाल गप्पू है। अजय मोहित मेरे लडके और उदय रामू का लडका है शारदा गप्पू की पत्नी है। सुशीला रामू की पत्नी है। द्रोपदी मेरी पत्नी है यह बात सही है कि उसने मुकदमा का क्रास मुकदमा मेरी पत्नी द्रौपदी, शारदा व सुशीला के खिलाफ गरौठा में चल रहा है जिसमें हम सबने जमानत करा ली है। यह सही है कि कलावती ने जो घटना लिखायी थी वह भी दिनांक २६.६.१४ को समय करीब ६.०० बजे सुबह की है जिसमें कलावती को चोटे आयीं थीं। यह मुकदमा धारा ३२३,५०४,४५२,५०४,५०६ का चल रहा है। मुझे नहीं पता की मुन्जी की लडकी का नाम सुदामा है। फिर कहा मुन्जी की दो लडकी हैं सुदामा व सुषमा २८.११.१३ को मेरे लडके मोहित ने सुदामा के साथ कोई छेडखानी नहीं की थी। मैने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि लडकी के मामले के संबंध में मामले को लेकर विवाद हो गया था। जिसमें गांव के कुछ सम्भ्रांत व्यक्तियों के सामने समझौता हो गया था। लडकी के संबंध के मामले में हमारा मुन्जी से थाने में समझौता हो गया था। ....गवाह को तहरीर पढकर सुनाया तो उसने कहा कि इस तहरीर में लाठी और कुल्हाडी से मारने वाली बात नहीं लिखी न ही गालियों के नाम लिखे हैं। हमारी बिरादरी के दस पन्द्रह मकान दूसरी रास्ता में हैं। मेरे भाई झांसी में छोटा खेडा मुहल्ला में रहते हैं। मेरी साली उर्मिला का गरौठा में उनका मायका है, मुहल्ले में उनकी ससुराल है। हम गुरसरांय अस्पताल गये थे वहां पटटी करी और झांसी जिला चिकित्सालय भेज दिया कोई लिखा पढी नहीं की थी मैं अस्पताल झांसी कितने बजे आया था समय नहीं बता सकता। मेरा परीक्षण कितने बजे हुआ मैं नहीं बता सकता। मेडिकल का टाईम पुलिस वाला जानता होगा। इलाज में मेरा कितना पैसा लगा मैने नहीं जोडा तहरीर हमने थाने पर बाहर बैठकर लिखायी थी। तहरीर की पूरी इबारत उसी व्यक्ति ने लिखी थी। तहरीर पर मेरी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर नहीं है। मुझे नहीं पता की घटना की तारीख में ओवर राईटिंग है।..........लाठियों की लम्बाई एक साढे तीन फुट, एक साढे छै

फुट, एक ५ फुट, अन्दाजन लम्बी थीं। कुल्हाडी अन्दाजन साढे चार फुट, थी। यह बात तहरीर में नहीं लिखी थी नही बयानों में बतायी। मैने इस बात को थाने पर बताया था उस व्यक्ति ने लिखाी क्यों नहीं मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैने अपने बयानों में कुल्हाडी के बारे में न बताया हो और न ही कुल्हाडी की कोई चोट हो। ....तहरीर लिखवाने में कितना समय लगा मैं नहीं बता सकता। अन्दाज से भी नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि थाने द्वारा का फ्रेक्चर पहले हुआ हो और उसका कोई डाक्टरी परीक्षण हुआ हो। मैने दरोगा जी को नहीं बताया कि मेरी अभियुक्तगण से कोई रंजिश है क्योंकि हमारी कोई रंजिश थी ही नहीं। मेरी मां की उम्र घटना के समय लगभग ६० वर्ष होगी सही नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मेरी मां की उम्र ७० साल की है। मुझे ध्यान नहीं की दरोगा जी ने मेरी पत्नी का कोई बयान लिया था या नहीं। गणेश मेरे मुहल्ले के हैं उसी नाते बीच बचाव कराने आ जाते हैं। प्रीतम मेरे पडोसी हैं। एक मकान छोडकर हैं वो बीच बचाव करने आ जाते हैं।......... "

इस प्रकार यह साक्षी मामले का वादी एवं पीडित है जिसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। आरोपित अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध सन्देह से परे सिद्ध होते हैं अथवा नहीं, इस तथ्य की पूर्ति हेतु इस साक्षी के साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है जो इस निर्णय के आगामी प्रस्तरों में किया जाएगा।

१४. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-२ श्रीमती फूला द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में यह अंकित कराया गया है कि -

" आज से करीब दो सवा दो साल की बात है मैं अपने घर पर चबूतरे पर मैं व मेरा बेटा बातचीत कर रहे थे। मेरे मुहल्ले के मुंजी व कुंजी व सुरेन्द्र व सन्तोष ये लोग आकर हम लोगों को बुरी बुरी गालियां देने लगे मैने कहा गालियां दे रहे हो इतनी बात पर ये चारों लोग मेरे लडके को मारने लगे। मुंजी , कुंजी सन्तोष लाठी लिए हुये थे और सुरेन्द्र कुल्हाडी लिए हुए थे। मैने अपने लडके को बचाया तो सुरेन्द्र ने मेरे माथे पर कुल्हाडी मारी जिससे मैं बेहोश हो गई इन लोगों की मारपीट से मेरे लडके को भी फ्रेक्चर हो गया जब मैं चिल्लाई तो मुहल्ले के गनेश पुत्र छितई व प्रीतम पुत्र किन्चू आ गये इन लोगो ने ललकारा इन लोगों ने ही बचाया। मेरा इलाज जिला अस्पताल झांसी में हुआ। मेरे माथे पर फ्रेक्चर हुआ था। अस्पताल में मैं १०-१५ दिन भर्ती रही थी। डा० साहब ने मेरा अंगूठा निशानी लगवाया था। गवाह ने चारों अभियुक्तों को देखकर कहा कि इन्हीं अभियुक्तों ने हम लोगों को मारा था। मारपीट के बाद मुझे कम सुनाई देता है और कम दिखाई देता है। "

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह अंकित कराया गया है कि-

" .... मुझे नहीं पता कि आज से तीन साल पहले मोहित ने मुंजी की लडकी सुदामा से छेडखानी की थी या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी है कि कलावती ने मेरे परिवार के दस लोगों के खिलाफ कार्यवाही (मुकदमा) न्यायिक मजिस्ट्रेट गरौठा के यहां किया था। ..... छतइया का लडका था उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, पीतम मेरा देवर मौके पर थे और कोई नहीं था। मैं अपने लडके को बचाने में गिर गई थी। मैं तारीख नहीं जानती। जेठ मास था गर्मी पडती रही। फिर कहा अषाढ का महीना था। मुझे नहीं पता कि कलावती को चोटें आई थीं या नहीं। दीन दयाल, गब्बू, रामू, कुंदन श्रीमती द्रौपती, दीनदयाल श्रीमती शारदा पत्नी गब्बू, सुशीला पत्नी रामू, मनोहर पुत्र मनु मोहित व अजय पुत्रगण

दीनदयाल ने कलावती को उसके घर में घुसकर मारापीटा हो, गाली दी हो व चोट पहुंचाई हो यह बात मुझे पता नहीं है। उसी दिन सुबह मुंजी के परिवार या मुल्जिमान या मेरे परिवार में आपस में गुत्मगुत्था नहीं हुई थी।...... दरोगा जी मेरे घर पूछतांछ करने आये थे। कुल्हाडी मेरे माथे पर ठाडी मारी थी। यह कहना गलत है कि यह बात मैने दरोगा जी को न बताई हो कि कुल्हाडी मारी थी। मैं इस बात का कोई कारण नहीं बता सकती कि दरोगा जी ने ठाडी करके कुल्हाडी मारने की बात क्यों नहीं लिखी धारा १६१ के बयानो में क्यों नहीं लिखी यह कहना गलत है कि ठाडी कुल्हाडी मारने की बात आज पहली बार बता रही हूं। मैने थाने में बताई थी। घटना के समय में मुंह के बल चबूतरा पर गिरी थी। मैं नहीं बता सकती इन लोगों ने मेरे कितनी लाठी मारी थीं। घटना के समय कोई मौके पर नहीं आया था। मेरा लडका दीनदयाल पेड से गिर गया था। उसके हाथ में चोट आ गई थी तब वह छ' साल का था बांये हाथ के कोंचे पर चोट आई थी। फिर वह ठीक हो गया था। हमने दरोगा जी को बताया था कि बुरी बुरी गाली दे रहे थे। पुलिस वाले मुल्जिम व मेरे लडकों को गरौठा ले गये थे। लाठी ३ फुट करीब थी। मोटे मोटे थे। फुट में नहीं बता सकती। हाथ से इशारा कर बताया कि इतने लंबे थे। कुल्हाडी का बेंट एक बांह भर था फल एक हाथ जितना था। हमें नहीं जानकारी कि पुलिस वालों ने लाठी बरामद की थी या नहीं। हम थाने तक गये तब तक होश था फिर जब अस्पताल गये तब होश नहीं था। .... मुझे नहीं ध्यान कि मैं अस्पताल कितने दिन भर्ती रही पौन महीना या पन्द्रह दिन। मेरे घर से मुंजी का घर दो घर छोडकर है। .... मैं २-३ मिनट तक चिल्लाती रही। छितई का लडका व पीतम मेरे शोर मचाने के आधा घन्टे बाद आये थे। घटना के आधे घन्टे बाद मेरे नाती अस्पताल ले गये थे। नाती का नाम अजय मोहित है। मेरे नाती मुझे अकेले थाने घर ले गये। थाने सुबह ६ बजे पहुंच गयी थी। ......मैने दरोगा जी को यह नहीं कहा कि मैं मौके पर ही बेहोश हो गयी थी। यदि दरोगा जी ने उक्त बात मेरे १६१ के बयानों में लिखी है तो मैं नहीं बता सकती कैसे लिख दी।......."

यह साक्षी मामले की मुख्य पीडिता है जिसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य का समाकलन अन्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के सापेक्ष किया जाना आवश्यक है, जो इस निर्णय के आगामी भाग में किया जाएगा।

१५. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०- ३ पीतम सिंह है जिसके द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" दिनांक २६.६.१४ की करीब ६-६.३० बजे सुबह की बात है । हम अपने घर से शौच के लिये बाहर जा रहा था। कुंजी, मुंजी सन्तोष व सुरेन्द्र बल्लू मिस्त्री को मार रहे थे। उनकी मां फूला देवी आदि फूलादेवी ने बीच बचाव किया तो सुरेन्द्र ने उसके सर में कुल्हाडी मार दी, सन्तोष, कुंजी व मुंजी लाठी लिये थे मेने उन लोगों का बीच बचाव किया चिल्लाने पर गणेश ओर एक दो लोग ओर आ गये। कुंजी, मुंजी आदि गाली गलौज कर रहे थे कहा आज तो तुमने बचा लिया अब की बार जान से मार देगें इतना कहते हुये मुल्जिमान भाग गये और मैं शौच के लिये चला गया। मैं शौच के वापस आया तो देखा की बल्लू अपनी मां फूला देवी को मोटर साइकिल से ले जा रहा था। अस्पताल व थाने ले गया। मैं नहीं बता सकता "

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि-

" दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये न ही पूछतांछ की। मैं आज पहली बार

बयान दे रहा हूं। अगर दरोगा जी ने मेरे बयान लिख लिये हों तो मैं उसकी वजह नहीं बता सकता ।........बल्लू के लडके बच्चों को भी मैं जानता हूं। मुंजी की लडकी का नाम सुदामा है। दीनदयाल उर्फ बल्लू के लडके मोहित को जानता हूं। उनकी लडाई थी। मोहित ने सुदामा के साथ छेडछाड कर दी थी। उसी की लडाई थी। इस घटना के पहले छेडखानी की थी इसी बात की रंजिश बल्लू मानता था। मुझे नहीं मालूम की इस बात की शिकायत मुंजी ने थाने में की थी या नहीं। मैने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि मैं घटना के समय नहीं था, घटना के बाद पहुंचा हूं। गणेश विकलांग है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण लाठी व कुल्हाडी न लिये हों न ही मारा हो। घटना के बाद हमारे घर में लैट्रिन बन गयी थी। मुझे चिल्लाने की आवाज सुनायी दी तब पहुंचे ये लोग १०-५ मिनट तक चिल्लाते रहे हम तुरन्त ही पहुंच गये थे। पहुंचने में एक आध मिनट लगा होगा ये लोग लाठियां चला रहे थे।........लाठी कितनी लम्बी थी मैं नहीं बता सकता। अन्दाजन साढे चार फुट की थी। मैने नापी नहीं थी। अन्दाजन बता रहा। कुल्हाडी करीब साढे तीन हाथ का बेंट था। अन्दाजन बता रहा। मैने नापा नहीं था कुल्हाडी फरस्पाउ थी, धार पेनी थी कुल्हाडी का फल ६ अंगुल था। मोटी जैसी होती वैसी थी। मैं मोटाई नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि बल्लू ६-७ वर्ष हो तब गिर गया हो और उसके हाथ में चोट आ गयी हो। मैं अपने भाई से करीब १० वर्ष पहले अलग हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि दरोगा जी ने कुल्हाडी लाठी बरामद की हो।....... "

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसके द्वारा तथाकथित मारपीट की घटना का समर्थन किया गया है। तथ्य के प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्य के सापेक्ष इस साक्षी के साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण इस निर्णय के पश्चातवर्ती हिस्से में किया जाएगा।

१६. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-४ गनेश द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया गया है कि -

" दिनांक २६.६.१४ की बात है समय सुबह ६-६.३० बजे की बात है मैं अपने घर के अन्दर था। मुहल्ले में हल्ला सुनाई दिया मैं अपने घर से बाहर निकला व दीनदयाल उर्फ बल्लू मिस्त्री के दरवाजे पर गया तो देखा कि सुरेन्द्र, कुंजी मुंजी व सन्तोष दीनदयाल मिस्त्री को गाली गलौज कर रहे थे, कुन्जी मुन्जी सन्तोष लाठी डन्डा व सुरेन्द्र कुल्हाडी लिये थे। ये लोग दीनदयाल की मारपीट करने लगे। दीनदयाल की मां फूला देवी आई बीच बचाव करने गयी सुरेन्द्र की कुल्हाडी उनके सिर में लग गयी। सुरेन्द्र की कुल्हाडी से फूला देवी को सर में चोट आयी थी। दीनदयाल को भी हाथों में चोट आयी थी। मुल्जिमान कुन्जी, मुन्जी सन्तोष व सुरेन्द्र आज हाजिर अदालत हैं इन्हें मैं पहचानता हूं। इन्हीं लोगों ने फूला व दीनदयाल की मारपीट की थी। मारपीट के समय मैं व पीतम ८-१० कदम दूर थे। पीतम मेरे आगे था और पीतम बीच बचाव करता चला गया। हम लोगों ने ललकारा तो मुल्जिमान गाली देते हुये भाग गये। फूला देवी और दीनदयाल को उनके घर के लोग अस्पताल ले गये थे। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। दरोगा जी २०-२२ दिन बाद घर पर आये थे तो मैने दरोगाजी को घटना के संबंध में जो देखा था बता दिया था। मुझे पता चला कि फूला देवी २-३ घन्टे बाद इलाज के लिये झांसी चली गयी थी। "

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन अंकित कराया गया है कि-

" ....दीनदयाल के घर से मेरा घर दिखायी देता है। क्योंकि मेरा घर लाइन में है। मैं दीनदयाल के साथ में नहीं गया था। दीनदयाल के घर पर घटना वाले दिन कोई उत्सव नहीं था। उनके यहां कोई रिश्तेदार नहीं आये थे। घटना वाले दिन घटना के समय कोई भीड नहीं थी २-४ लोग् थे। मैने दरोगा जी को बयान दिया था कि मुल्जिमान लाठी डन्डा लिये थे। डन्डा कुल्हाडी मुन्जी, सन्तोष लिये थे। डन्डा ओर लाठी एक ही बात है। मेरी मुल्जिमानों से कोई बुराई नहीं है।......मैं हल्ला सुनने के २-३ मिनट बाद बाहर आ गया था। अपने घर से घटनास्थल पहुंचने में २-३ मिनट लग गये थे। मेरे पहंचने पर मुल्जिम घटनास्थल पर ही थे। जब झगडा हो रहा था तब मैं ८-१० कदम की दूरी पर खडा था। मैं दूर खडा रहा।.......मैने कोई बीच बचाव नहीं किया था। जहां मैने दीनदयाल चौराहा बताया वहीं पर घटना घटित हुई थी। प्रीतम मेरे आगे थे बीच बचाव करने को यह बात पुलिस वालों को नहीं बताई थी। आज पहली बार बताा रहा हूं। मैने यह बात दरोगा जी को नहीं बतायी थी कि दीनदयाल के सिर में चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर पडा था। यह कहना सही है कि मैने गाली दी वह तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखा दी थी। पर गालियों के नाम नहीं लिखाये थे। मैने बस यह बताया था कि कुल्हाडी से हमला किया यह नहीं बताया था कि किस प्रकार हमला किया था। कुल्हाडी किधर से मारी थी यह नहीं बताया था। लाठी की लम्बाई ४-४.५० मीटर होगी। लाठी की मोटाई मुठी में जितनी आ जाती है उतनी थी। मैं लाठी व डन्डे में फर्क नहीं जानता। कुल्हाडी का फल चार-पांच अंगुल होगा। मूठ की लम्बाई दो ढाई अंगूठा थी। कुल्हाडी का बैंट दो ढाई फुट लम्बा था। मुल्जिमान दीनदयाल व फूला में आपस में गुत्थम गुत्था चल रही थी।.........चबूतरा पर फूला देवी नहीं गिरी थी। उनके सर में चोट लगी थी। सिर में चोट सिर के दाहिनी ओर लगी थी। फूला देवी को बहुत सी चोटें आयीं थीं। कहां कहां आयीं थीं। यह नहीं मालूम। दीनदयाल को हाथों में व उंगलियों में चोटें आयीं थीं।........."

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया यह साक्षी भी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिसने यद्यपि अभियोजन कथानक का समर्थन अवश्य किया है, किन्तु उसके साक्ष्य का अन्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के सापेक्ष समाकलन अवश्य है जो इस निर्णय के आगामी भाग में किया जाएगा।

१७. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-५ शरद भार्गव रेडियोलाजिस्ट द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया गया है कि-

" मैं दिनांक २६.६.१४ को जिला चिकित्सालय झांसी में रेडियोलाजिस्ट के पद पर कार्यरत था। मजरूब दीनदयाल पुत्र मूलचन्द निवासी मोहल्ला नारायनपुरा गुरसरांय को होमगार्ड शिवकुमार थाना गुरसरांय के द्वारा लाया गया था जो मेरे निर्देशन में टैक्नीशियन द्वारा एक्सरे किया गया था। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर मैने रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें मजरूब के दाहिनी कोहनी में कोई नहीं पाया गया एवं उसके बांये हाथ के अंगूठे के एक्सरे में अंगूठे की एक हडडी में फ्रेक्चर पाया गया था। पत्रावली में कागज सं० २६ए एक्सरे रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं जिस पर प्रदर्श क-२ डाला गया। डाक्टरी रिपोर्ट पर मजरूब का अंगूठा निशानी लगाया गया था जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। एक्स-रे रिपोर्ट मजरूब दीनदयाल की एक्स'रे प्लेट देखकर गवाह ने तस्दीक किया यह वही एक्स-रे प्लेट है जो मेरे निर्देशन में एक्स-रे किया गया था जो

एक्स-रे प्लेट मेरे द्वारा प्रमाणित है। एक्स-रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श क-१ व वस्तु प्रदर्श क-२ डाला गया।.........."

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन अंकित कराया गया है कि-

" जिला अस्पताल झांसी में सन २००८ से तैनात हूं। एक्स-रे टैक्नीशियन ने किया था। मैने नहीं किया था। मुझे याद नहीं है कि एक्स-रे रिपोर्ट मैने कितने दिन बाद बनाई थी। उक्त चोटें गिरने से व टकराने से आना सम्भव है मोटर साइकिल से फिसल कर गिरने व किसी वाहन से टकराने से फ्रैक्चर व चोटे आना सम्भव है। मैं चुटैल को पहने से नहीं जानता हूं। चुटैल आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। एक्स-रे प्लेट पूर्वास्थिति में नहीं है। यह कहना गलत है कि मैने गलत एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की हो ।"..........

यह साक्षी वह रेडियोलाजिस्ट है जिसके द्वारा एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-२ व एक्स-रे प्लेटस को अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया है तथा आहत दीनदयाल का स्वयं के निर्देशन में एक्स्-रे कराये जाने के तथ्य की भी पुष्टि की गयी है।

१८. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-६ कान्स० सुरेश सिंह है जिसने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह कथन अंकित कराया है कि -

" मैं दिनांक २६.६.१४ को थाना गुरसरांय में कान्स० मुहर्रिर के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरी डियूटी कार्यलेख पर थी। पत्रावली में कागज सं० २६ए वादी दीनदयाल उर्फ बल्लू मिस्त्री पुत्र मूलचन्द निवासी मुहल्ला नारायनपुरा की तहरीर के आधार पर एन०सी०आर० २६/१४ दर्ज की थी जिसका खुलासा रपट सं० ८ समय ६.२० दर्ज किया था। कायमी का हवाला है। मूल जी०डी० मैं साथ में लाया हूं। मूल जी०डी० की छाया प्रति पत्रावली में कागज सं० १८ए है मूल जी०डी० मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। प्रमाणित करता हूं। इस पर प्रदर्श क-३ डाला गया है। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।"

इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि-

" मैं थाना गुरसरांय में किस तिथि से तैनात रहा हूं याद नहीं है। दोनो पक्षों के उपर धारा १०७/११६ द०प्र०सं० की कार्यवाही मेरे सामने नहीं हुई थी। प्रदर्श क-३ मैं अलग से इवारत पडी है इस पर किसी के सूक्ष्म हस्ताक्षर नहीं हैं। मूल एन०सी०आर० मेरे सामने नहीं है। प्रदर्श क-१ में मैं किसी शस्त्र से मारने वाली बात नहीं लिखी है। प्रदर्श क-१ में वादी दीनदयाल अलग से हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं है।....वादी के साथ उसकी मां फूला व उर्मिला थाने में आई थी। फूला व उर्मिला मोटर साइकिल से आई थीं।........"

यह साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया वह औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा रोजनामचा आम प्रदर्श क-३ को अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया गया है।

१९. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-७ एस०आई० सुभाष चन्द यादव है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" मैं दिनांक १९.७.१४ थाना गुरसरांय में बतौर उप निरीक्षक कार्यरत था। मुकदमे की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। पर्चा नं०-१ दिनांक १९.७.१४ को किता किया था जिसमें मजरूबा श्रीमती फूला देवी तथा वादी दीनदयाल को वास्ते डाक्टरी परीक्षण सी०एच०सी०

गुरसरांय भेजा गया था जहां मजरूवा उपरोक्त को गम्भीर चोटे होने के कारण मेडिकल कालेज झांसी डाक्टर द्वारा रेफर किया गया था। मजरूवान के डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मजरूवा फूला देवी के सर में हडडी में फ्रेक्चर व मजरूव दीनदयाल के बांये हाथ के अंगूठे में फ्रेक्चर पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर एन०सी०आर० तरमीम होकर विवेचना एस०ओ० के आदेश से मुझे सुपुर्द की गई संबंधित कागजात नकल रपट तरमीमशुदा नकल रपट डाक्टरी रिपोर्ट एक्स-रे प्लेट की रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें नकल तहरीर हिन्दी वादी नकल रपट रोजनामचा आम, नकल रपट तरमीमी मुकदमा, डाक्टरी रिपोर्ट का उल्लेख एवं बयान लेखक एफ०आई०आर० कान्स० सुरेश सिंह, बयान लेखक तरमीमी मुकदमा कान्स० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, बयान वादी दीनदयाल वादी दीनदयाल की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पत्रावली में कागज सं० ४ए नक्शा नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-४ डाला गया। नक्शा नजरी मौके के लिहाज से सही है। पर्चा नं०-१ए १९.७.१४ को ही किता किया जिसमें गिरफतारी अभियुक्त सुरेन्द्र, मुन्जी व कुन्जी के बयान अंकित किये। पर्चा नं०-२ दिनांक २२.७.१४ को किता किया जिसमें बयान मजरूबा फूला देवी के अंकित किये। पर्चा नं०-३ २५.७.१४ को जिसमें बयान साक्षी गनेश श्रीमती उर्मिला व प्रीतम के बयान अंकित किये पर्याप्त विवेचना उपरान्त अभियुक्त सुरेन्द्र, कुन्जी,मुंजी निवासी नारायनपुरा कस्वा व थाना गुरसरांय के विरूद्व धारा ३२३,३२५,५०४,३०८ भा०द०सं० के विरूद्व आरोप पत्र सं० ६५/१४ दिनांक २५.७.१४ को न्यायालय में प्रेषित किया। पत्रावली में कागज सं० ३ए मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क-५ डाला गया एवं पत्रावली में कागज सं०३ए/१ आरोप पत्र सं० ६५ए/१४ अ०सं० ४०७/१४ धारा ३२३,३२५,५०४,३०८ भा०द०सं० बनाम सन्तोष कुशवाहा के विरूद्व आरोप पत्र दिनांक ३.८.१४ को प्रेषित किया जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली में कागज सं०३ए/१ की मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क-६ डाला गया। केस डायरी-१ २८.७.१४ को किता की थी जिसमें अभियुक्त की गिरफतारी हेतु दविश दी गई थी केस डायरी-२ में अभियुक्त सन्तोष द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आत्म समर्पणकिया था जिसका पर्चा में अंकित है।"

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

" .... मुकदमा मेरी अदम मौजूदगी में लिखा गया था इसलिये मुकदमा लिखते समय मेने मजरूवों को नहीं देखा था वादी मुकदमा के प्रदर्श क-१ पर हस्ताक्षर नहीं हैं। १५१, १०७, ११६ का कोई प्रमाण केस डायरी केसाथ संलग्न नहीं किया है चुटैलों की मजरूवी चिटठी मेरे सामने नहीं बनाई गई थी और न ही पत्रावली में दाखिल है। मैने घटना स्थल के आसपास बने मकान मूगे वर्मा, चन्द्रभान वर्मा, हरनारायण कनौरिया, वंशलाल व जगदीश कुशवाहाके बयान अंकित नहीं किये क्योंकि उक्त लोग मौके पर मौजूद नहीं थे। मैने एक बार प्रयास किया लेकिन यह लोग नहीं मिले।...... धारा १०७/११६/१५१ द०प्र०सं० की कार्यवाही मेरे द्वारा की गई इस कार्यवाही के साथ एक किता चालानी रिपोर्ट, नकल रपट एन०सी०आर० की छाया प्रति एस०डी०एम० न्यायालय गरौठा भेजी थी तहरीरी रिपोर्ट नहीं भेजी थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि मूल एन०सी०आर० प्रति व मूल तहरीर कार्यालय वालों ने कहां भेजी मुझे जानकारी नहीं है। पत्रावली में मूल एन०सी०आर० नहीं है। वह

एन०सी०आर० संबंधित न्यायालय में जाती है। वादी दीनदयाल के बयानों में लाठियों से शब्द उपर लिखा है जिस पर सूक्ष्म हस्ताक्षर नहीं है गवाह को वादी मुकदमा दीनदयाल का १६१ द०प्र०सं० का बयान दिखाया गया तो गवाह ने १६१ का बयान पढकर कहा कि इस बयान में कुल्हाडी से मारने वाली बात नहीं लिखी है न ही सुरेन्द्र ने कुल्हाडी से फूला देवी को मारना वादी ने बताया है। गवाहय गनेशी ने अपने १६१ द०प्र०सं० के बयान में दीनदयाल को सर में चोट आना बताया है।......साक्षी गनेशी व फूला देवी ने यह बात नहीं बताई है कि कुल्हाडी किस तरफ से मारी थी। मैने लाठी डन्डा कुल्हाडी बरामद नहीं किये थे। साक्षी पीतम ने घटना को नहीं देखा था। मैने खून लगे कपडे बरामद नहीं किये थे। घटना वादी मुकदमा के दरवाजे के सामने की बताई गयी है।........."

यह साक्षी मामले का विवेचक है जिसके द्वारा औपचारिक अभियोजन प्रपत्रों को प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण इस निर्णय के प्रस्तर सं०-२६ में किया जाएगा।

२०. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-८ कान्स० लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" दिनांक १९.७.१४ को मैं कान्स० मुहर्रिर के पद पर थाना गुरसरांय में कार्यरत था। उस दिन मेरी डियूटी कार्यलेख पर थी। सुबह ६.३० बजे डाकपैड से प्राप्त एक्स-रे रिपोर्ट,एक्स-रे प्लेट संबंधित मजरूवान श्रीमती फूला देवी व दीनदयाल निवासीगणमुहल्ला नारायणपुरा कस्वा व थाना गुरसरांय संबंधित एन०सी०आर०सं० २६/१४ धारा ३२३,५०४,भा०द०सं० में एक्स-रे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट के आधार पर बाद अवलोकन एस०एच०ओ० महोदय के आदेश पर धारा ३२५/३०८ भा०द०सं० की बढोत्तरी करते हुए अ०सं०४०७/१४ धारा ३२३,३२५,३०८,५०४ भा०द०सं० में तरमीम किया गया। पत्रावली में कागज सं० ८ए मूल जी०डी० की कार्बन कापी है एक ही प्रोसिस से तैयार की गई थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है मैं मूल जी०डी०साथ में लाया हूं मूल जी०डी० से कार्बन कापी प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क-७ डाला गया।"

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

"....... मैं थाना गुरसरांय में २०१२ से २०१७ तक तैनात था निश्चित तारीख नहीं बता सकता। प्रदर्श क-७ में जो उपर से पैन से इबारत लिखी है उस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श क-७ में मेरे हस्ताक्षर हैं लेकिन नाम नहीं लिखा है। प्रदर्श क-७ थोडी भददी सी है यह बात सही है कि मैने तरमीमी जी०डी० में एस०एच०ओ० साहब के कहने पर धारा बढोत्तरी की है। जी०डी० में सहवन संबंधित शब्द व धारा ३२५ में ओवर राइटिंग है। यह कहना सही है कि मैने दरोगा जी के कहने पर कायमी की है उस दिन मेरी डियूटी शाम ८.०० बजे से सुबह ८.०० बजे तक थी।........."

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये इस औपचारिक साक्षी द्वारा कार्बन प्रति जी०डी० प्रदर्श क-७ को अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया गया है किन्तु आरोपित अपराध के तथ्यों के संबंध में स्वयं को कोई जानकारी होने का कोई कथन नहीं किया गया है।

२१. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-९ डा० राजेन्द्र सिंह हैं जिसने अपने मुख्य परीक्षण में

यह कथन किया है कि -

" मैं दिनांक २८.६.१४ को जिला चिकित्सालय झांसी में बतौर रेडियोलोजिस्ट के पद पर तैनात था चुटैल फूला जो कि जिला चिकित्सालय के वार्ड की तरफ से एक्स-रे के लिये रेफर होकर मेरे पास आई थी मैने चुटैल के सर का एक्स-रे किया था ओर खोपडी के सामने की हडडी में दांयी तरफ फ्रैक्चर पाया था। पत्रावलीमें कागज सं० १९ए को गवाह ने देखकर बताया कि यह वही एक्स-रे रिपोर्ट है जो मैने चुटैल फूला की , की थी जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। एक्स-रे रिपोर्ट पर निशानी अगूंठा लगवाया था। उक्त एक्स-रे रिपोर्ट दिनांकित २८.६.१४ के लेख व हस्ताक्षर को मैं प्रमाणित करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-८ डाला गया। "

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

" .... मैं जिला चिकित्सालय में सन २०१४ से तैनात हूं। एक्स-रे मेरी देखरेख में टैक्नीशियन ने किया था लेकिन मैने नहीं किया था मैने उसी समय एक्स-रे रिपोर्ट तैयार की थी। सर के बल गिरने से उक्त फ्रैक्चर आना सम्भव है। मैं चुटैल को पहले से नहीं जानता था उक्त चुटैल आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है। चोट आने का मैं समय नहीं बता सकता।...... "

यह साक्षी वह रेडियोलाजिस्ट है जिसके द्वारा पीडिता फूला का एक्स-रे करना तथा एक्स-रे रिपोर्ट तैयार करना अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया है तथा यह भी प्रमाणित किया है कि पीडिता की खोपडी के सामने की हडडी में दांयी तरफ फ्रेक्चर पाया गया था।

२२. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-१० डा० सुशील कुमार हैं जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" मैं दिनांक १९.७.१४ को जिला चिकित्सालयझांसी में बतौर पैथोलोजिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिनांक को श्रीमती फूला पत्नी मूलचन्द उम्र ६५ वर्ष जो कि इमरजेन्सी वार्ड में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मारपीट की चोटों के उपरान्त भर्ती की गयी थी। व रक्त संबंधित जांचों हेतु पैथोलोजी विभाग में मरीज को भेजा गया था। मेरे द्वारा २८.६.१४ को श्रीमती फूला के रक्त की निम्नलिखित जांचे सम्पादित की गयी रक्त की हीमोग्लोबिन सहित २२, पैरामीटर जांचे व ब्लड सुगर रेन्डम तथा यूरिया व क्रेटिनी की जांचे सम्पादित की गयीं ब्लड सुगर १०० एम०एल० पर डी०एल० ब्लड यूरिया ३८ एम०एल०पर डी०एल०, सीरम क्रेटिनी १.४ एम०एल०पर डी०एल०, हेमोग्लोबिन १०.३ जी०एम०पर डी०एल०,डब्लू०बी०सी० काउण्ट १०,३०० पर क्यूविक मिली मीटर प्लेट दो लाख छियतर हजार पर क्यूशिक मिली मीटर तथा डी०एल०सी० न्यूट्रोफिन ६२ निमको साईट ३७ मोनो साईट (१)(.२) लगभग पाया गया इस रक्त परीक्षण की रिपोर्ट में मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे मैं प्रमाणित करता हूं मैने मरीज का ब्लेड सैम्पिल लेकर कम्पराईण्ड जांच उपरान्त रिपोर्ट तैयार की थी जो कि पत्रावली में शामिल २५ए को देखकर गवाह ने बताया यह वही पांच रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा दी गयी थी जिसे मैं प्रमाणित करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-९ डाला गया। "

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

" .... मैं सन २००८ से अभी भी जिला चिकित्सालय में तैनात हूं। जिस डाक्टर ने मरीज को ब्लड रिपोर्ट को मेरे पास भेजा था उसका नाम रिपोर्ट में दर्शाया नहीं है। मरीज मेरे

पास चल अपने अटेडेन्ट के साथ आया था। आज मैं रिकार्ड नहीं लाया हूं। उक्त रिपोर्ट पर मेरी मुहर नहीं लगी है। मरीज की ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन क्या था जिस दिनांकपर मरीज को भेजा गया था वह स्लिप पत्रावली में मौजूद है। इस स्लिप पर कागज सं० २०ए पर किसी के दस्तखत नहीं है। मैने तैयार नहीं किया था किसने तैयार किया था मैं नहीं बता सकता। जो हाथ से जांच का विवरण लिखा गया वह मेरे द्वारा नहीं लिखा गया यह प्रदर्श क-१ जिसमें जांच का विवरण काले पेन से लिखा उस पर उस लिखने वाले के सूक्ष्म हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श क-९ में कम्प्यूटराईड डेट २०जून १४ अंकित है जिस पर समय ११.४० है प्रदर्श क-९में किसी डाक्टर का नाम अंकित नहीं है मैट्रिक प्रिन्टर है जिसमें गडबडी से प्रदर्श क-९ ठीक से नहीं आया है। मैं मरीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं। इस पर मरीज के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है। मरीज का ब्लड का सैम्पिल मैने नहीं निकाला था। एल०टी० निकालता है। रिपोर्ट तैयार करने में मुझे आधा घन्टा लगा होगा।......."

यह साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया वह साक्षी है जिसके द्वारा पीडिता फूला के रक्त की जांच सम्पादित करने के तथ्य की पुष्टी की है किन्तु आरोपित अपराधों के तथ्यों के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

२३. अभियोजन साक्षी पी०डबलू०-११ डा० प्रभात चौरसिया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" मैं दिनांक २६.६.१४ को जिला चिकित्सालय झांसी में बतौर वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्र के पद पर तैनात था। चुटैल श्रीमती फूला उम्र ६५ वर्ष को आकस्मिक विभाग जिला चिकित्सालय के डाक्टर द्वारा चुटैल ने परीक्षण उपरान्त चुटैल की चोट नम्बर-३ के संबंध में मेरे पास चुटैल की आंख में चोट के बारे में मैने अपनी जांच उपरान्त पाया कि उसकी दृष्टि दोनो आंखों में समान्य थी पुतलियां सामान्य थीं एवं आंख के भीतर कोई भी चोट नहीं थी। आकस्मिक विभाग के डाक्टर द्वारा उक्त चुटैल को मेरे पास इलाह हेतु रेफर करके भेजा गया था। मैने उसकी दोनो आंखों का परीक्षण किया था। पत्रावली में कागज सं०२१ए को देखकर बताया कि चुटैल की आंखों के संबंध में जो मैने परीक्षण किया था यह मेरे हस्तलेख में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-१० डाला गया।"

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

" .... मैं जिला चिकित्सालय में वर्ष २००८ से तैनात हूं। मरीज मेरे पास ओ०पी०डी० के समय आयी थी। मैने मरीज का कोई पहचान चिन्ह नहीं लिखा है। मैने दोनो आंखों का परीक्षण किया था। मैने मरीज की दोनो आंखों के अन्दर कोई चोट नही पाई थी। मेरी जांच रिपोर्ट में जो अंगूठा लगा है उस मरीज का अंगूठा निशानी पर नाम नहीं लिखा है। मैने मरीज का नाम अपनी जांच रिपोर्ट में अलग से नहीं लिखा है।.........."

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया गया यह साक्षी वह औपचारिक साक्षी है जिसके द्वारा पीडिता फूला की आंखों का परीक्षण किया गया था किन्तु इस परीक्षण में पीडिता की आंखों में कोई चोट न पाया जाना इस साक्षी द्वारा अभिकथित किया गया है।

२४. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-१२ डा० रविकान्त हैं जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि-

" दिनांक २६.०६.२०१४ को मैं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर जिला

चिकित्सालय झांसी में तैनात था। दिनांक २६.६.१४ को समय १०.३०ए०एम० पर चुटैल श्रीमती फूला उम्र लगभग ६५ वर्ष पत्नी मूलचन्द निवासी मोहल्ला नारायणपुरा थाना गुरसरांय जिला झांसी का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। उक्त मरीज को होमगार्ड शिव कुमार थाना गुरसरांय लेकर आये थे। उक्त चुटैल की प्रथम सूचनाा रिपोर्ट में एन०सी०आर० सं० २६/१४ धारा ३२३,५०४ भा०द०सं० के परिप्रेक्ष में मैने चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चुटैल के शरीर में पहचान के चिन्ह के तौर पर एक काला तिल बांये हाथ के बीच की उंगली पर टरमिसन फैलिग्स पर मौजूद था।

शारीरिक विवरण- *सामान्य कद काठी*

चोटों का विवरण-

१.*फटा हुआ घाव ३ सेमी० x ०.५ सेमी० हडडी तक गहरा दोनो भौहों के बीच में मौजूद था ताजा खून मौजूद था चोट को अण्डर ओवजरवेशन रखा गया था एवं एक्स-रे स्कल ए०पी० व लेटरल व्यू एडवाईस किया गया था।*

२. *फटा हुआ घाव जिसका साईज ३ सेमी० x १सेमी० x हडडी तक गहरा पहली चोट से ३ सेमी० उपर माथे पर मौजूद था। ताजा खून मौजूद था चोट अण्डर ओव्जरवेशन थी एवं उसका एक्स-रे स्कल ए०पी० एवं लेटरल व्यू एडवाईस किया।*

३. *कन्टूजन स्वेलिंग ६ सेमी० x ४ सेमी० दांयी आंख के चारों तरफ हल्की सी कालिमा लिये हुए मौजूद थी उक्त चोट को अण्डर औव्जरवेशन रखा गया था एवं नेत्र सर्जन के पास एक्सपर्ट ओपेनियन के लिए रेफर किया गया था।*

राय -

मेरी राय में चोट नं०-१,२,३ अण्डर औव्जरवेशन रखी गयी थी और एक्स-रे स्कल ए०पी० एवं लेटरल व्यू एडवाईस किया गया था।

चोटों की अवधि - *सभी चोटें ताजा थीं चोटें मेडिकल करने के लगभग ६ घन्टे पहले की थी।*

उपयोग में लाया गया हथियार- *हार्ड एण्ड ब्लंट आब्जेक्ट*

चुटैल का डाक्टरी परीक्षण मैने २६.६.१४ को १०.४० ए०एम१० पर समाप्त किया था। चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण करने के उपरान्त चुटैल का निशानी अंगूठा लगवाया था। पत्रावली में कागज सं० २१ए/२ को गवाह ने देखकर बताया कि यह वही श्रीमती फूला की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसको मैं प्रमाणित करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-११ डाला गया।

एक अन्य चुटैल दीनदयाल उम्र ४३ वर्ष निवासी मुहल्ला नारायनपुरा थाना गुरसरांय जिला झांसी का भी चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा दिनांक २६.६.१४ को समय १०.४० ए०एम० पर किया गया था। उक्त चुटैल को होमगार्ड शिव कुमार थाना गुरसरांय से लेकर आया था तथा एन०सी०आर० सं० २६/१४ धारा ३२३,५०४ भा०द०सं० का उल्लेख पुलिस के प्रार्थना पत्र में था जिसके आधार पर मैने चुटैल का चिकित्सीय परीक्षण किया था। चुटैल के शरीर में पहचान का चिन्ह एक काला तिल आर०टी० अपर आर्म पर बीच में आगे की तरफ मौजूद था।

शारीरिक विवरण *– सामान्य कद काठी*

चोटों का विवरण

१. कन्टूजन स्वेलिंग साईज ६ सेमी० x ८ सेमी० आर०टी० एल्वो पर बाहर की तरफ चोट लालिमा लिये हुए थी। चोट को अण्डर ओव्जरवेशन रखा गया था एवं एक्स-रे आर०टी० एल्वो ए०पी० एवं लेटरल व्यू एडवाईस किया गया था।

२. एब्रेडड कन्टूजन २ सेमी० x १ सेमी० बांये अंगूठे पर बीच में चोट को अण्डर औव्जरवेशन रखा गया था एवं एक्स-रे लेफट थम्ब ए०पी० एवं लेटरल व्यू एडवाईज किया गया था उक्त चोट से खून का रिसाव था।

३. दांये पैर में दर्द की शिकायत कोई बाहरी चोट का निशान मौजूद नहीं था।

<u>राय -</u>

१. चोटों की प्रकृति - चोट नं० १ व २ का एक्स-रे की सलाह दी गई थी एवं चोटों को अण्डर औव्जरवेशन रखा गया था।

२. चोटों की अवधि - ताजा मेडिकल किये जाने के लगभग ६ घन्टे पहले की ।

३. उपयोग में लाया गया हथियार- हार्ड एवं ब्लंट आब्जेक्ट

उक्त परीक्षण की समाप्ति का दिनांक व समय २६.६.१४, १०.५० ए०एम०

पत्रावली में कागज सं० २१ए/१ को गवाह ने देखकर बताया कि चुटैल दीन दयाल की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तैयार होने के उपरान्त चुटैल का निशानी अंगूठा लगवाया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे मैं प्रमाणित करता हूं जिस पर प्रदर्श क-१२ डाला गया।

अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि -

"...... मैने चोटों को मेडिकल रिपोर्टों में फ्रेश लिखा है अवधि नहीं लिखी है। फ्रेश का तात्पर्य चोट लगने से लगभग ६ घन्टे तक का है चुटैलों को चोटें फूला के परीक्षण १०.३० ए०एम०व दीनदयाल का १०.४० ए०एम० परीक्षण के समय से ६ घन्टे पूर्व की हो सकती हैं ।....... मेडिकल परीक्षण रिकार्ड आज मैं साथ नहीं लाया हूं। दोनो मरीज चलकर आये थे दोनो चुटैलों को कोई धारदार हथियार से चोट नहीं पाई गयी थी। चुटैल फूला चबूतरे आदि पर गिरने से सभी चोटे आना सम्भव है। चुटैल दीनदयाल को सभी चोटें मोटर साइकिल से गिरने से आना सम्भव है। मेडिकल परीक्षण करने के बाद चुटैल चले गये थे । मैने चुटैलों के कपडों पर खून लगा था या नहीं दोनो मेडिकल परीक्षणों में नहीं लिखा है। मैं दोनो चुटैलों की चोटों के बारे में यह नहीं बता सकता कि दोनो को चोटें एक ही समय आई हों या अलग अलग आई हों।........"

यह साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराया वह महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा दोनो आहतों का दिनांक २६.६.१४ को चिकित्सीय परीक्षण किया जाना अभिकथित किया गया है तथा दोनो आहतों के शरीर पर आयी चोटों का विवरण, प्रयोग में लाये गये हथियार की सम्भावना तथा चोटों का सम्भावित समय इन विन्दुओं पर अपना साक्ष्य अंकित कराया है। इस साक्षी के साक्ष्य को अन्य प्रस्तुत किए गए तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के सापेक्ष आलोचनात्मक रूप से परीक्षण किया जाना आवश्यक है जो इस निर्णय के आगामी प्रस्तर में किया जाएगा।

२५. जहां अभियोजन की ओर से उपरोक्त वर्णित दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वहीं बचाव पक्ष की ओर से सूची ५२ब के माध्यम से परिवाद वाद सं०

१६४०/ २०१४ के परिवादपत्र एवं उक्त परिवाद में पारित किए गए तल्बी आदेश की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है। सूची ५४ब के माध्यम से इसी परिवाद वाद के आदेशपत्रकों की सत्य प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत की गयी हैं। इन प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के आधार पर बचावपक्ष की ओर से यह दलील दी गयी है कि वास्तव में अभियुक्तगण निर्दोष हैं जिनके द्वारा प्रश्नगतसत्र परीक्षण के विचारणीय मामले के वादी पक्ष के विरूद्ध परिवाद पंजीकृत कराया गया है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रश्नगत सत्र परीक्षण वाद झूठा दर्ज कराते हुए झूठा साक्ष्य अंकित कराया गया है।

२६. उपरोक्त प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का गहन विश्लेषण करने पर निम्नांकित विन्दु प्रकट होते हैः-

(I) सर्व प्रथम बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों को यदि विचार में लिया जाये तो यह प्रकट होता है कि इन प्रपत्रों के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा यह आधार लिया गया है कि वादी पक्ष द्वारा रंजिशन झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों के आधार पर क्रास केस माने जाने का प्रश्न है, इस संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं –

(a) प्रपत्र सं० ५३बी से प्रस्तुत की गयी परिवाद पत्र की सत्य प्रतिलिपि के अनुसार घटनास्थल उक्त परिवाद पत्र की परिवादिया कलावती के घर के अन्दर का था जबकि प्रश्नगत सत्र विचारण मामले में घटना स्थल इस मामले के वादी दीन दयाल के घर के सामने का होना दर्शाया गया है। इस प्रकार कथित दोनो मामलों के घटना स्थल भिन्न भिन्न हैं।

(b) कथित परिवाद मामले में अब तक आरोप भी सम्भवतः विरचित नहीं किया गया है जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा सूची ५४बी से प्रस्तुत प्रपत्रों के परिशीलन से प्रकट होता है। इन सत्य प्रतिलिप आदेश पत्रकों से यह प्रकट होता है कि दिनांक १६.१०.१८ को परिवादी को धारा २४४ द०प्र०सं० के साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया था तत्पश्चात आगामी तिथि को परिवादी का धारा २४४ द०प्र०सं० का साक्ष्य समाप्त किया गया। किन्तु उक्त परिवाद के अभियुक्तगण के विरूद्ध सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जा चुका है, इसका कोई प्रमाण बचावपक्ष की ओर से नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि उक्त परिवाद मामला , प्रश्नगत सत्र परीक्षण वाद का क्रास मामला है।

(c) बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पत्र प्रपत्र सं० ५३बी के पृष्ठ सं०–२ पर कतिपय दिनांक १८.११.१३ को परिवादिया के पुत्र के साथ मोहित पुत्र दीनदयाल द्वारा छेडखानी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराये जाने का उल्लेख अवश्य किया गया है किन्तु ऐसे किसी मुकदमे को दर्ज कराये जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(d) प्रश्नगत सत्र परीक्षण वाद में बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के

धारा ३१३ द०प्र०सं० के कथनों में किसी भी स्थान पर क्रास केस होने का आधार नहीं लिया गया है और न ही बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी लिखित बहस ६४बी में ऐसा कोई कथन किया गया है कि प्रश्नगत मामले का क्रास विचाराधीन है। न तो लिखित बहस में और न ही मौखिक बहस में बचावपक्ष की ओर से ऐसी कोई प्रार्थना की गयी है कि एक अन्य क्रास केस विचाराधीन है जिसके साथ इस मामले का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

(e) बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवाद पत्र ५३बी पृष्ठ सं०-३ पर मोहल्ले के रामगुलाब, रामलाल, सरदार सिंह एवं अन्य तमाम व्यक्तियों द्वारा घटना को देखा जाना कहा गया है किन्तु बचावपक्ष की ओर से इनमें से किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुए जबकि बचाव पक्ष द्वारा क्रास केस होने की कोई प्रतिरक्षा नहीं ली गयी है वरन केवल सूची ५२ब एवं ५४ब से प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं, अतः ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस सत्र परीक्षण वाद के निस्तारण को अनादिकाल तक लम्बित नहीं रख सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जबकि इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई अभिकथन नहीं किया गया है तथा इस सत्र परीक्षण वाद के नक्शा नजरी प्रदर्श क-४ के अनुसार घटना स्थल उस घटना स्थल से भिन्न है जिसे परिवाद पत्र ५३बी में दर्शाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में लम्बित वाद को आज दिनांक तक सत्र सुपुर्द नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई आदेश ही पारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में लम्बित वाद इस सत्र परीक्षण वाद का क्रास केस है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय में सत्र परीक्षण वाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होते हैं तथा न तो यह न्यायालय और न ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट न्यायालय को इस संबंध में आदेश दे सकता है कि किसी वाद को धारा ३२३ द०प्र०सं० के अधीन अथवा अन्यथा सत्र सुपुर्द कर दिया जाये। निष्कर्षतः यह न्यायालय यह उपधारित नहीं कर सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में लम्बित कथित परिवाद वाद इस सत्र परीक्षणीय मामले का क्रास केस है और उस स्थिति में इस सत्र परीक्षणीय वाद को अनादिकाल तक लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

(ii) जहां अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये सभी तथ्य के एवं औपचारिक साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है वहीं बचाव पक्ष की ओर से अपनी लिखित बहस में मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कई विरोधाभास होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट के एन्टी टाईम होने के तर्क का प्रश्न है,यह न्यायालय बचाव पक्ष के इस संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्क से सहमत नहीं है तथा सुबह ६ बजे की बतायी गयी घटना के संबंध में सुबह ६ बजकर २० मिनट पर दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट न तो संदेहास्पद और न ही अविश्वसनीय मानी जा सकती है।

(**iii**) बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा किस किस हथियार का प्रयोग किया गया। किन्तु इस संबंध में यह न्यायालय इस अभिमत का है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की सूचना मात्र होती है तथा इसमें घटना से संबंधित समस्त सूक्ष्म तथ्यों का उल्लेख आवश्यक नहीं होता है। उस स्थिति में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हथियारों का वर्णन नहीं भी किया गया है तब भी उससे तथ्य के परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता खण्डित नहीं होती है।

(**iv**) उभय पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश होने के कारण झूठा मुकदमा लिखाये जाने की प्रतिरक्षा बचावपक्ष द्वारा ली गयी है किन्तु पूर्व की रंजिश होना एक दुधारी तलवार **(Double Edged Sword)** की तरह होता है तथा केवल इसके आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि साक्षीगण द्वारा झूठा साक्ष्य अंकित कराया गया है।

(**v**) बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी०डबलू०–३ प्रीतम सिंह एवं प्री०डबलू०–४ गणेश की घटना स्थल पर उपस्थिति असम्भव है, किन्तु इस संबंध में लिखित एवं मौखिक बहस में जो आधार बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किएगए हैं वह आधार स्वीकार योग्य नहीं है। इन दोनो ही साक्षियों का साक्ष्य न केवल स्वाभाविक प्रकृति का होना प्रकट होता है वरन उनके परस्पर साक्ष्य में अथवा अन्य साक्ष्य के सापेक्ष इन साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास प्रकट नहीं होता है जो इन साक्षीगण के साक्ष्य की विश्वसनीयता को खण्डित करने हेतु आधार प्रदान करता हो।

(**vi**) बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य आधार यह लिया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य में घोर विरोधाभास है तथा पीडिता फूला के सर पर चोट गिरने से आयी थी, न कि कुल्हाडी की चोट थी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी साक्षी का साक्ष्य सम्पूर्ण रूप से पढते हुए समाकलित किया जाता है न कि साक्ष्य का समाकलन टुकडो टुकडो में किया जाता है। पीडिता पी०डबलू०–२ फूला द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया है कि उसे सुरेन्द्र द्वारा सर पर कुल्हाडी मारी गयी थी। जिसके संबंध में इस साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसे कुल्हाडी "ठाडी" मारी गयी थी तथा इस साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कहना गलत है कि ठाडी कुल्हाडी मारने वाली बात वह न्यायालय में पहली बार बता रही है। जहां तक इस साक्षी द्वारा घटना के समय मुंह के बल चबूतरे पर गिरने की संस्वीकृति का प्रश्न है,इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि कथित चोट कुल्हाडी से न आयी हो वरन गिरने से आयी हो। अतः ऐसी स्थिति में इस साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है और न ही यह अभिनिर्धारित किए जाने योग्य है कि इस पीडिता को सर पर जो चोटें आयीं हैं वह चोटें गिरने से आयी हैं।

(**vii**) यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त साक्ष्य का सम्मिलित

विश्लेषण किया जाये तब यह प्रकट होता है कि साक्षी पी०डबलू०–१ दीनदयाल द्वारा घटना समय दिनांक व स्थान पर आरोपित अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ तथा उसकी मां फूला के साथ मारपीट करना एवं इस मारपीट में उसके हाथ में फ्रेक्चर होना स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है। इस साक्षी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–१२ को चिकित्सक डा० रविकान्त पी०डबलू०–१२ द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया गया है तथा इस आहत की एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–२ तथा एक्स–रे प्लेट वस्तु प्रदर्श–१ एवं वस्तु प्रदर्श–२ को साक्षी शरद भार्गव रेडियोलाजिस्ट पी०डबलू०–५ द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा यह सिद्ध किया गया है कि इस आहत के बांये हाथ के अंगूठे की एक हडडी में फ्रेक्चर पाया गया था। इसी प्रकार एक अन्य आहत श्रीमती फूला पी०डबलू०–२ द्वारा भी अपने साक्ष्य में आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्ध यह कथन किया गया है कि इन लोगों ने इस पीडिता तथा इस पीडिता के पुत्र के साथ मारपीट की थी, पीडिता के माथे पर कुल्हाडी मारी थी तथा इस मारपीट से इस पीडिता एवं उसके पुत्र को आयी चोटों में फ्रेक्चर भी पाया गया था। इस साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि इस पीडिता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–११ चिकित्सक डा० रविकान्त पी०डबलू०–२ के साक्ष्य, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–८ तथा रेडियोलाजिस्ट डा० राजेन्द्र सिंह पी०डबलू०–९ के साक्ष्य से होती है । इस पीडिता की एक्स–रे प्लेटस भी अभिलेख पर उपलब्ध हैं जिनके साथ प्रपत्र सं०२४ए से परीक्षण की यह आख्या भी शामिल है कि इस पीडिता के सर के फ्रन्टल बोन की दाहिनी ओर फ्रेक्चर पाया गया था । अतः साक्षीगण पी०डबलू०–१, पी०डबलू०–२, पी०डबलू०–५, पी०डब्लू०–९, एवं पी०डबलू०–१२ के सम्मिलित साक्ष्य तथा इस प्रस्तर में वर्णित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्वों की पुष्टि होती है तथा इस मारपीट में उक्त दोनों आहतों को अनेक साधारण उपहति की चोटें एवं कथित फ्रेक्चर की गम्भीर उपहति की चोटें कारित किया जाना सिद्ध होता है।

(viii) जहां मामले के पीडितगण द्वारा पी०डब्लू०–१ एवं पी०डब्लू०–२ के रूप में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है वहीं स्वतंत्र साक्षीगण के रूप में साक्षीगण पी०डबलू०–३ प्रीतम सिंह एवं पी०डब्लू०–४ गणेश द्वारा भी अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया गया है। इन स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

(ix) अभियोजन साक्षी पी०डबलू०–११ डा० प्रभात चौरसिया के साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को पीडिता फूला के सर पर चोटें थीं जिसके परिप्रेक्ष्य में इस साक्षी द्वारा पीडिता का नेत्र परीक्षण किया गया था।

(x) प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में कोई विलम्ब नहीं है। आहतों का चिकित्सीय परीक्षण पुलिस द्वारा सन्दर्भित किया गया है तथा समस्त चिकित्सीय परीक्षण शासकीय अस्ताल में किया गया है। मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई घोर विरोधाभास नहीं है। जहां तक साक्षीगण के

साक्ष्य में किचिंत विरोधाभासों को बचाव पक्ष द्वारा बहस में प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस न्यायालय के अभिमत में साक्षीगण के साक्ष्य में कोई घोर विरोधाभास नहीं है तथा केवल ऐसे सूक्ष्म प्रकृति के विरोधाभास हैं जो न केवल स्वाभाविक हैं वरन प्रस्तुत किए गए सम्पूर्ण साक्ष्य को खण्डित किए जाने हेतु पर्याप्त भी नहीं हैं।

२७. उपरोक्त विस्तारपूर्वक विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के अभिमत में यह तथ्य सन्देह से परे सिद्ध होता है कि दिनांक२६.०६.२०१४ को सुबह ६ बजे वादी दीनदयाल के घर के सामने अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुशवाहा, सन्तोष कुशवाहा,कुन्जी लाल कुशवाहा एवं मुन्जीलाल कुशवाहा द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी दीनदयाल एवं उसकी मां फूला के साथ लाठी डन्डे कुल्हाडी इत्यादि से मारपीट कर उनकों चोटें पहुंचायी गयीं जिससे आहतों को साधारण प्रकृति की उपहति, वादी दीनदयाल के हाथ के अंगूठे में फ्रेक्चर की गम्भीर प्रकृति की उपहति तथा आहत फूला के माथे की हडडी में फ्रेक्चर की हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के प्रयास की चोट कारित की गयी। (यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के सर के अग्र भाग में किसी ठोस एवं भारी हथियार से कारित की गई चोट आपराधिक मानव वध के प्रयास की चोट मानी जाएगी, विशेषकर उस स्थिति में जबकि इस चोट से सर की फ्रन्टल बोन में फ्रेक्चर भी पाया गया है। यह न्यायालय इस अभिमत पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सर उसके शरीर का अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील भाग होता है जिस पर बल के साथ मारी गई चोट उस इंसान का वध करने के प्रयास की कोटि में निश्चित रूप से आएगी।)अतःऐसी स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त के विरूद्ध धारा ३२३/३४, ३२५/३४, एवं धारा ३०८/३४ भा०द०सं० के अपराध सन्देह से परे सिद्ध होते हैं।

२८. जहां तक आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ५०४/३४ भा०द०सं०का प्रश्न है,किसी भी साक्षी द्वारा कथित गाली गलौच में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का उल्लेख अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है और उस स्थिति में इस अपराध के आवश्यक तत्व सन्देह से परे सिद्ध नहीं होते हैं। अतः प्रत्येक अभियुक्त धारा ५०४/३४ भा०द०सं० के आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ पाने का अधिकारी प्रकट होता है।

२९. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का समाकलन एवं मामले का विस्तारपूर्वक विश्लेषण इस न्यायालय को इस अभिमत पर पहुंचने का आधार प्रदान करता है कि आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्ध निम्नलिखित दोषसिद्धि आदेश पारित किया जाये।

आदेश

३०. अभियुक्तगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को आरोपित अपराध अन्तर्ग धारा ३०८/३४, ३२३/३४ एवं३२५/३४ भा०द०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

उक्त प्रत्येक अभियुक्त को एक अन्य आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा ५०४/३४ भा०द०सं० में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

३१. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा प्रतिभू पर हैं उनके प्रतिभू पत्र तथा व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

३२. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को दण्ड के प्रश्न पर सुना जाएगा। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक ०४.०४.२०२२ को प्रस्तुत हो।

दिनांक ०१. ०४. २०२२

(विकास नागर)
विषेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०३, झांसी।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- ३, झांसी

सत्र परीक्षण संख्या- ३५५/ २०१४,
मु०अ०सं०- ४०७/ २०१४, थाना- गुरसरांय,
जिला झांसी

०४.०४.२०२२

३३. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनकी ओर से यह कहा गया कि उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए ।

३४. अभियोजन की ओर से दोषीगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने की याचना की गयी।

३५. अपराध की प्रकृति को विचार में लेते हुए तथा कारित की गयी उपहति की प्रकृति को विचार में लेते हुए दोषीगण को निम्नांकित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है-

आदेश

३६. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को सत्र परीक्षण संख्या- ३५५/ २०१४, मु०अ०सं०- ४०७/ २०१४, थाना- गुरसरांय, जिला झांसी में अपराध अन्तर्गत धारा-३२३/३४, भा०द०सं० में छः माह के सश्रम कारावास एवं एक- एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी एक- एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

३७. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को इस मामले में धारा ३२५/ ३४ भा०द०सं० में एक- एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच- पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी तीन- तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

३८. दोषीगण सुरेन्द्र कुशवाहा, कुन्जी लाल कुशवाहा, मुन्जी कुशवाहा एवं सन्तोष कुशवाहा को इस मामले में धारा ३०८/ ३४ भा०द०सं० में चार- चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस- दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी छः- छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

३९. धारा ३५७ द०प्र०सं० के अधीन अधिरोपित अर्थदण्ड की कुल धनराशि की आधी धनराशि अर्थात बत्तीस हजार रूपये में से मामले के पीडित दीन दयाल उर्फ बल्लू कुशवाहा पुत्र मूलचन्द को बारह हजार रूपये एवं श्रीमती फूला देवी पत्नी मूलचन्द को बीस हजार रूपये प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाएगा।

४०. चूंकि सभी अपराध एक ही अनुक्रम में कारित किए गए हैं अतः सभी मूल कारावास के दण्ड एक साथ गतिमान होगें।

४१. बरामदशुदा माल को अपील की अवधि तक सुरक्षित रखा जाए एवं तत्पश्चात अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाए। अपील न होने की स्थिति में माल का निस्तारण नियमानुसार आज से ६ माह बाद किया जाए।

४२. दोषीगण का दोषसिद्धि अभिरक्षा वारन्ट तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाये।

४३. निर्णय की एक निःशुल्क प्रति दोषी को अविलम्ब प्रदान की जाए।

दिनांक ०४. ०४. २०२२ (विकास नागर)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०३, झांसी

आज यह निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक ०४. ०४. २०२२ (विकास नागर)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) /
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०३, झांसी

हरी मोहन साहू
स्टेनो